

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशारी अभियन्ता, सिवाई पी०एम०जी०एस०वाई०, लोहाघाट(कार्यदायी संस्था)

दुसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि मोटर मार्ग 1- रीठा से कूण मोट के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच
आज वर्ष 2017 महीने की 3 तारीख 10 को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गई है। कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी
- 2- यह सहमति हो गई है। कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजिट लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किट दरो पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० लोहाघाट के नाम जायेगा।
- 3- यदि कोई विवाद होता है। तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जिसका निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस दिल् 3 पर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम: सिवाई खण्ड
अध्यक्ष: सिवाई खण्ड
प्रधान: सिवाई खण्ड
सिवाई खण्ड, लोहाघाट

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिवाई खण्ड, लोहाघाट

तहसीलदार पदा
जनपद-चम्पावत

नाम भूमिधर

रामगिरि
बुधगिरि
दिवानगिरि
हरगिरि
केशवगिरि
सुनगिरि
पेमगिरि
सुनगिरि
जोगगिरि
भुवानगिरि
हरिशगिरि
ब्राह्मगिरि
चिन्तागिरि
कुल्लगिरि
केशवगिरि
रामगिरि

हस्ताक्षर
प्रधान
ग्राम पंचायत कुन
निम्न 0 पटी (चम्पावत)

रामगिरि
बुधगिरि
दिवानगिरि
हरगिरि
केशवगिरि
सुनगिरि
पेमगिरि
सुनगिरि
जोगगिरि
भुवानगिरि
हरिशगिरि
ब्राह्मगिरि
चिन्तागिरि
कुल्लगिरि
केशवगिरि
रामगिरि

गजस्व
अ. नराक्षक
क्षेत्र
तहसील - पाटा (चम्पावत)

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम: - यू०एम०जी०एस०वाई०
पदनाम: अध्यक्ष, आभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, नाहाघाट, चम्पावल

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

नाम भूमिधर

दिवानासिंह
श्रीधर सिंह
भीमसिंह
विष्णुसिंह
उमेश सिंह
गंगा सिंह
कुन्दन सिंह
फाशा सिंह
सुन्दर सिंह
पताण सिंह
नाजिका सिंह
केदार सिंह
चतुर सिंह
पूरन सिंह
नर सिंह
दयाल सिंह
श्याम सिंह
हनुमान सिंह
दिवाना सिंह
पूरन सिंह
रघुवर वाम
वीरवाम

हस्ताक्षर

श्रीधर सिंह
श्रीधर सिंह
भीमसिंह
विष्णुसिंह
उमेश सिंह
गंगा सिंह
कुन्दन सिंह
फाशा सिंह
सुन्दर सिंह
पताण सिंह
नाजिका सिंह
केदार सिंह
चतुर सिंह
पूरन सिंह
नर सिंह
दयाल सिंह
श्याम सिंह
हनुमान सिंह
दिवाना सिंह
पूरन सिंह
रघुवर वाम
वीरवाम

राजस्थान उप निराक्षर
क्षेत्री वृत्तगायक
नहसोल मंडी (चम्पावल)

तहसीलदार पार्टी
जनपद-चम्पावल

समझौता झापन

यह समझौता झापन एक पक्षकार के रूप में अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०, लोहाघाट(कार्यदायी संस्था)

द्वारे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि मोटर मार्ग 1 रीडा से कृष्ण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच
आज वर्ष 2017 महीने की 03 तारीख 18 को निष्पादित किया गया है।

1- यह सहमति हो गई है। कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2- यह सहमति हो गई है। कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल लायी जानी है। उनको वर्तमान रवीकृत सर्किट दर्श पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाये तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० लोहाघाट के नाम पर जायेगा।

3- यदि कोई विवाद होता है। तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जिसका निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साथ ही स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

ग्राम-कुम्हरी

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम- यू०एस० रीडा
पदनाम- अधिशारी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
लोहाघाट, लोहाघाट (चम्पावत)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

गजस्व निराक्षर
क्षेत्र- लोहाघाट
तहसील- लोहाघाट (चम्पावत)

नाम भूमिधर

श्री लक्ष्मीदेव

" वैमराम

" रतनराम

दुगरेदेव

उवादेव

शानीमह

वैमराम

पानदेव

मोहन

हस्ताक्षर

लक्ष्मीदेव

" वैमराम

" रतनराम

दुगरेदेव

उवादेव

शानीमह

वैमराम

पानदेव

मोहन

तहसीलदार पांडी
जनपद-चम्पावत

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०, लोहाघाट(कार्यदायी संस्था)

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि मोटर मार्ग 1 शीटा से कूण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2017 महीने की 03 तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गई है। कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2- यह सहमति हो गई है। कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किट दरो पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० लोहाघाट के नाम किया जायेगा।
- 3- यदि कोई विवाद होता है। तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस बिलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

सहमति

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम: पी०एम०जी०एस०वाई०
अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

गजस
निराक्षर

प्रधान
ग्राम पंचायत सुन

नाम भूमिधर
1 श्री जगदीशचन्द्र
2 श्री महेशचन्द्र
3 श्री गिरिशचन्द्र
4 श्री महेशचन्द्र
5 श्री नन्दकिशोर
6 श्री मेखदत्त
7 श्री शत्रु
8 श्री जगन्नाथ
9 श्री तिलोचन
10 श्री महेशचन्द्र
11 श्री गिरिशचन्द्र
12 श्री सुधापति
13 श्री सुशोभा
14 श्री केशवदत्त

हस्ताक्षर
1 श्री जगदीशचन्द्र
2 श्री महेशचन्द्र
3 श्री गिरिशचन्द्र
4 श्री महेशचन्द्र
5 श्री नन्दकिशोर
6 श्री मेखदत्त
7 श्री शत्रु
8 श्री जगन्नाथ
9 श्री तिलोचन
10 श्री महेशचन्द्र
11 श्री गिरिशचन्द्र
12 श्री सुधापति
13 श्री सुशोभा
14 श्री केशवदत्त

तहसीलदार पार्टी
जनपद-चम्पावत

"समझौता ज्ञापन"

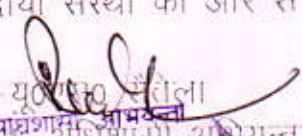
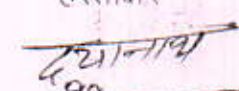
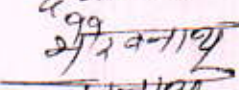
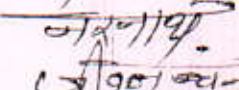
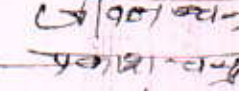
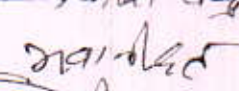
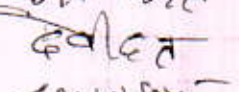
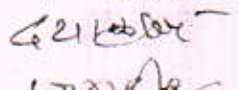
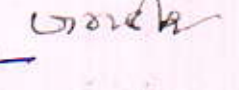
यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशारी अभियन्ता सिंवाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई० लोहाघाट(कार्यदायी संस्था)

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाम भूमिधर जिनकी भूमि मोटर मार्ग 1 रीठा से वृहन् मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच
आज वर्ष 2017 महीने की 03 तारीख 18 को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गई है। कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2 यह सहमति हो गई है। कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक ड्रिपोजल में लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किट दरो पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० लोहाघाट के नाम कि जायेगा।
- 3 यदि कोई विवाद होता है। तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर	रीठा	नाम भूमिधर	हस्ताक्षर
नाम: यू०एम०जी०एस०वाई० लोहाघाट पदनाम: अधिशारी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० लोहाघाट (चम्पावत) सिंवाई खण्ड लोहाघाट	 5-6	1. दयालु 2. अश्वनाथ 3. अनन्नाथ 4. जीवन्नाथ 5. प्रकाशचन्द्र 6. अजीत 7. देवीदत्त 8. दयालु 9. लज्जेश	        
सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० सिंवाई खण्ड, लोहाघाट	 गजस क्षेत्र तहसील - पाटा (चम्पावत)		 तहसील सिंवाई खण्ड लोहाघाट

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना में वनभूमि 6.940 हे० प्रभावित हो रही है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना गूम सिविल भूमि में किया जाना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित है। अतः दुगने 13.880 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्त है।

15/5/20

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

सिंवाई खण्ड, लोहाघाट

आवश्यक

पी०एम०जी०एस०वाई०

सिंवाई खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत)

प्रभागिय वनाधिकारी
ह० प्रभागिय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
देवीधूरा वन क्षेत्र
चम्पावत वन प्रभाग